# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 96 / 2023

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
| --- | --- | --- |
| 1 तेजाराम 2 मांगीलाल 3 देवाराम पिसरान प्रतापाराम प्रार्थी संख्या 03 नाबालिग जरिये कुदरती माता 4 कलूदेवी पत्नी प्रतापाराम 5 जोगाराम 6 खेमाराम 7 खरथाराम 8 नरपतराम पिसरान वगताराम 9 हरखूदेवी पत्नी वगताराम जाति कुम्हार निवासी बीबड़ा तहसील व जिला बाडमेर। | | 1 जोगाराम 2 मीरो 3 रेखा 4 कालूराम 5 मूली पिसरान डालूराम अप्रार्थी संख्या 04 व 05 नावागलिग जरिये कुदरती वलिया माता 6 अणसीदेवी पत्नी डालूराम 7 जोगाराम पुत्र मालाराम 8 जीयो पत्नी मालाराम 9 रूगाराम 10 दीपाराम 11 उदाराम पिसरान जयराम 12 खेताराम 13 आदूराम 14 तेजाराम 15 प्रकाश पिसरान चेतनराम 16 आसुदेवी पत्नी चेतनराम जाति कुम्हार निवासी बीबड़ा तहसील व जिला बाडमेर 17 तहसीलदार बाडमेर। |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.**

उपस्थिति :— 1 श्री नारायण कुमावत, वकील प्रार्थीगण।
2 श्री बांकाराम चौधरी, वकील अप्रार्थीगण।

## आदेश

दिनांक 28/12/23

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत मौजा बीबड़ा पटवार हल्का बोला तहसील व जिला बाडमेर के मूल खसरा संख्या 06 रकबा 175.03 बीघा खसरा संख्या 07 रकबा 01.13 बीघा, खसरा संख्या 27 रकबा 12.11 बीघा, खसरा संख्या 31 रकबा 34.15 बीघा, खसरा संख्या 47 रकबा 97.12 बीघा व खसरा संख्या 117/49 रकबा 98.08 बीघा कुल रकबा 420.02 बीघा आया हुआ है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 13 ने उक्त संयुक्त आराजी के मूल खसरा संख्या 06 रकबा 175.03 बीघा खसरा संख्या 07 रकबा 01.13 बीघा, खसरा संख्या 27 रकबा 12.11 बीघा, खसरा संख्या 31 रकबा 34.15 बीघा, खसरा संख्या 47 रकबा 97.12 बीघा व खसरा संख्या 117/49 रकबा 98.08 बीघा कुल रकबा 420.02 बीघा का आपसी सहमति से विभाजन हेतु तहसीलदार बाडमेर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्ताव पेश किया था। उक्त प्रस्ताव पर विभाजन एग्रीमेन्ट आदेश संख्या राज/2013/88 दिनांक 16.01.2013 स्वीकृत किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा उक्त भूमि का विभाजन कर नये खसरा संख्या 145/47 रकबा 61.05 बीघा, खसरा संख्या 156/6 रकबा 43.16 बीघा, खसरा संख्या 157/6 रकबा 43.15 बीघा, खसरा संख्या 157/7 रकबा 0.13 बीघा, खसरा संख्या 151/27 रकबा 08.00 बीघा, खसरा संख्या 149/31 रकबा 16.15 बीघा, खसरा संख्या 147/49 रकबा 35.17 बीघा, खसरा संख्या 158/6 रकबा 43.16 बीघा, खसरा संख्या 153/7 रकबा 01.00 बीघा, खसरा संख्या 152/27 रकबा 04.11 बीघा, खसरा संख्या 150/31 रकबा 18.00 बीघा, खसरा संख्या 117/49 रकबा 37.13

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

बीघा, खसरा संख्या 146/47 रकबा 36.07 बीघा, खसरा संख्या 148/49 रकबा 24.18 बीघा व खसरा संख्या 155/6 रकबा 43.16 बीघा अंकित किये गये। तहसीलदार बाडमेर द्वारा उक्त विभाजन करने के बाद प्रार्थीगण के हिस्से में खसरा संख्या 146/47 रकबा 36.07 बीघा, खसरा संख्या 148/49 रकबा 24.18 बीघा व खसरा संख्या 155/6 रकबा 43.16 बीघा कायम किये गये, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। उक्त विभाजन पश्चात प्रार्थीगण द्वारा तरमीम हेतु तहसीलदार बाडमेर के समक्ष नक्शा पेश करने पर तहसीलदार बाडमेर ने उक्त तरमीम करने का आदेश जारी किया गया लकिन हल्का पटवारी के द्वारा विभाजन प्रस्ताव हेतु तरमीम न कर अपनी मनमर्जी से तरमीम कर दी गई, जिसके कारण पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। उक्त गलत तरमीम का प्रार्थीगण को ज्ञान होने पर पटवारी हल्का से नकले प्राप्त करने पर हुई। प्रार्थीगण तहसीलदार बाडमेर द्वारा स्वीकृत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.01.2013 अनुसार करवाना चाहते है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाडमेर के सहमति विभाजन आदेश क्रमांक राज/2013/88 दिनांक 16.01.2013 अनुसार प्रार्थीगण के हिस्से में मौजा बीबड़ा पटवार हल्का बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 146/47 रकबा 36.07 बीघा(5.8841 हैक्टेयर), खसरा संख्या 148/49 रकबा 24.18 बीघा (4.0307 हैक्टेयर) व खसरा संख्या 155/6 रकबा 43.16 बीघा (7.0901 हैक्टेयर) भूमि की लठ्ठा ट्रेस में सही तरमीम करने के आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण ने मनगंढत एवं वास्तविक सम्बन्धित दस्तावेजों को छिपाकर झूठे अभिकथनों पर आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी संख्या 01 से 04 के वालिद प्रतापाराम व प्रार्थी संख्या 05 व 07 से 09 ने एक अपील माननीय जिला कलक्टर महोदय बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व कई बार पटवारी हल्का से नक्शा प्राप्त कर व एग्रीमेन्ट के साथ संलग्न नक्शा व विभाजन आदेश अनुसार हिस्से व रकबे के अनुसार पालना तरमीम कायम की गई। प्रार्थीगण को उक्त तरमीम की जानकारी सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2019 से पूर्व थी इसलिए प्रार्थीगण ने अपने खेत की सीमाज्ञान करवाया था सीमाज्ञान के पश्चात प्रार्थीगण ने उक्त आदेश दिनांक 16.01.2013 को ही अपूर्ण व गलत होना मानकर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बाडमेर के न्यायालय में एक अपील दिनांक 25.08.2020 को पेश की जो अपील संख्या 24/2020 अनवान जोगाराम बनाम रूगाराम वगैराह से दर्ज होकर बाद सुनवाई दिनांक 10.08.2021 को खारिज कर दी गई। उक्त अपील के तथ्यों का छिपाकर प्रार्थीगण ने मनगंढत एवं झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत अपील सारहिन एवं तथ्यहीन होने से खारिज योग्य है, क्योकि माननीय न्यायालय श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील खारिज की गई थी, जिसकी आगामी सुनवाई का अधिकारी माननीय न्यायालय को नही है। पटवारी हल्का द्वारा की गई तरमीम विधि अनुसार की गई है जो नजरी नक्शा अनुसार है तथा

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व रेकर्ड में संधारण व अंतरण करने के लिए मौके पर पैमाईश तथा हिस्से अनुसार बराबर रकबा रेकर्ड में दर्ज कर तरमीम का अंकन किया गया है।

वकील अप्रार्थीगण विशेष आपतियां प्रस्तुत करते हुए अंकित किया कि प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष माननीय जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत अपील के तथ्यों को छिपाकर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए है जो स्वच्छ हाथों से उपस्थित नही हुए है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत एक पक्षीय मौका रिपोर्ट कोई विधिक आधार नही है। तहसीलदार बाडमेर के आदेश दिनांक 16.01.2013 के संलग्न नजारी नक्शा से आदेश में पारित नामान्तकरण आदेश पारित किया जाकर कायम किया गया। उक्त नजरी नक्शा पर पारित नामान्तकरण आदेश आज भी कायम है, जबतक प्रार्थीगण आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौति देकर निरस्त नही करवा लेते तब तक उक्त आवेदन के कोई कानूनी अधिकार नही बनते है। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बाडमेर के न्यायालय में एक अपील दिनांक 25.08.2020 को पेश की जो अपील संख्या 24/2020 अनवान जोगाराम बनाम रूगाराम वगैराह से दर्ज होकर बाद सुनवाई दिनांक 10.08.2021 को खारिज कर दी गई। उक्त अपील के तथ्यों का छिपाकर प्रार्थीगण ने मनगंढत एवं झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत अपील सारहिन एवं तथ्यहीन होने से खारिज योग्य है, क्योकि माननीय न्यायालय श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील खारिज की गई थी, जिसकी आगामी सुनवाई का अधिकारी माननीय न्यायालय को नही है। अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने–अपने खेतों की पक्की नेखमबन्दी सम्पन्न करवाई है, जिसकी पालना रिपोर्ट भी श्रीमान् के समक्ष पेश हो चुकी है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन सारहीन व विधिक प्रक्रिया में नही आने से खारिज योग्य है।

प्रशासन गांवों के संग अभियन में तहसीलदार बाडमेर से रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.शिविर/23/05 दिनांक 10.06.2023 प्रस्तुत कर अंकित किया कि :–

1. मौके पर जोगाराम पुत्र वगताराम का कब्जा व काश्त संलग्न नक्शा प्रारूप 'अ' के अनुसार है।
2. लठ्ठा नक्शा में खसरा संख्या 148/49 व 146/47 की तरमीम संलग्न नक्शा प्रारूप 'ब' के अनुसार है।
3. तहसीलदार बाडमेर के आदेश क्रमांक राज/2013/88 दिनांक 16.01.2013 की पालना में आपसी सहमति बंटवारा किया गया था उक्त बंटवारा के साथ संलग्न नक्शा में सभी खातेदारों के अलग–अलग रंग भरे गये थे, जिस पर सभी खातेदारों ने अपने–अपने हस्ताक्षर कर उस बंटवारा में अंकित तरमीम को स्वीकार किया था, जो संलग्न नक्शा प्रारूप 'स' के अनुसार है, लेकिन लठ्ठा ट्रेस में खसरा संख्या 148/49 व 146/47 की तरमीम विभाजन आदेश के साथ संलग्न नक्शा अनुसार नही की जाकर भिन्न तरिके से की गई, जो संलग्न नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

प्रारूप 'ब' के अनुसार की गई, जो विभाजन आदेश के साथ संलग्न नक्शा से मेल नही खाता है। प्रार्थी लठ्ठा नक्शा में तरमीम इस फर्द के साथ संलग्न नक्शा प्रारूप 'स' के अनुसार करवाना चाहते है, जो विभाजन आदेश में संलग्न नक्शा अनुसार है, जिसे सभी खातेदारों ने अपनी सहमति व्यक्त कर बंटवारा करवाया था।

4. खसरा संख्या 155/6 रकबा 43.16 बीघा भूमि की लठ्ठा नक्शा में अंकित तरमीम व विभाजन आदेश के साथ संलग्न नक्शा में अंकित तरमीम अनुसार ही है। खसरा संख्या 155/6 की तरमीम सही होने से यथावत रखनी प्रस्तावित है।
5. खसरा संख्या 148/49 व 146/47 की तरमीम लठ्ठा नक्शा में इस फर्द के साथ संलग्न नक्शा प्रारूप 'स' के अनुसार की जानी उचित है।

अतः खसरा संख्या 148/49 व खसरा संख्या 146/47 की तरमीम संलग्न नक्शा प्रारूप 'स' के अनुसार किया जाना प्रस्तावित किया है।

उभय पक्षों को सुना गया। वकील अप्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दीयां संवत् 2074 से 2077, राजस्व नक्शों, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में सहमति विभाजन प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत की। वकील अप्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान आवेदन पत्र, फर्द मौका दिनांक 29.01.2020, माननीय न्यायालय जिला कलक्टर बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 24/2020 अनवान जोगाराम बनाम रूगाराम निर्णय दिनांक 10.08.2021 की प्रति, माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के राजस्व आवेदन संख्या 11/2022 अनवान डालूराम बनाम जोगाराम आदेश दिनांक 17.02.2022 की प्रति, मौका फर्द दिनांक 15.01.2023 की प्रति मय नक्शा,माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के राजस्व आवेदन संख्या 10/2022 अनवान जोगाराम बनाम जोगाराम आदेश दिनांक 17.02.2022 की प्रति, मौका फर्द दिनांक 15.01.2023 की प्रति मय नक्शा,माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के राजस्व आवेदन संख्या 12/2022 अनवान रूगाराम बनाम सारों आदेश दिनांक 17.02.2022 की प्रति, मौका फर्द दिनांक 15.01.2023 की प्रति मय नक्शा मय न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया जिसका गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में हम इस निस्कर्ष पर पहुचे है कि तहसीलदार बाडमेर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि तहसीलदार बाडमेर के आदेश क्रमांक राज/2013/88 दिनांक 16.01.2013 की पालना में आपसी सहमति बंटवारा किया गया था उक्त बंटवारा के साथ संलग्न नक्शा में सभी खातेदारों के अलग–अलग रंग भरे गये थे, जिस पर सभी खातेदारों ने अपने–अपने हस्ताक्षर कर उस बंटवारा में अंकित तरमीम को स्वीकार किया था, जो संलग्न नक्शा प्रारूप 'स' के अनुसार है, लेकिन लठ्ठा ट्रेस में खसरा संख्या 148/49 व 146/47 की तरमीम विभाजन आदेश के साथ संलग्न नक्शा अनुसार नही की जाकर भिन्न तरिके से की गई, जो संलग्न नक्शा प्रारूप 'ब' के अनुसार की गई, जो विभाजन आदेश के साथ संलग्न नक्शा से मेल नही

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

खाता है तथा खसरा संख्या 148/49 व 146/47 की तरमीम लठ्ठा नक्शा में इस फर्द के साथ संलग्न नक्शा प्रारूप 'स' के अनुसार करने की अनुशंषा की है। वकील अप्रार्थीगण का यह तर्क मानने योगय नही है किमाननीय न्यायालय श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील खारिज की गई थी, जिसकी आगामी सुनवाई का अधिकारी माननीय न्यायालय को नही है, क्योकि प्रार्थीगण द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की है जिसमे प्रार्थीगण की वर्तमान तरमीम एवं सहमति विभाजन अनुसार तरमीम नही होना अंकित किया है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को है प्रार्थीगण ने अपील के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत नही किया है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन तहसीलदार बाडमेर के सहमति विभाजन आदेश क्रमांक राज/2013/88 दिनांक 16.01.2013 के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर मौजा बीबड़ा पटवार हल्का बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 145/47 रकबा 61.05 बीघा, खसरा संख्या 156/6 रकबा 43.16 बीघा, खसरा संख्या 157/6 रकबा 43.15 बीघा, खसरा संख्या 157/7 रकबा 0.13 बीघा, खसरा संख्या 151/27 रकबा 08.00 बीघा, खसरा संख्या 149/31 रकबा 16.15 बीघा, खसरा संख्या 147/49 रकबा 35.17 बीघा, खसरा संख्या 158/6 रकबा 43.16 बीघा, खसरा संख्या 153/7 रकबा 01.00 बीघा, खसरा संख्या 152/27 रकबा 04.11 बीघा, खसरा संख्या 150/31 रकबा 18.00 बीघा, खसरा संख्या 117/49 रकबा 37.13 बीघा, खसरा संख्या 146/47 रकबा 36.07 बीघा, खसरा संख्या 148/49 रकबा 24.18 बीघा व खसरा संख्या 155/6 रकबा 43.16 बीघा की वर्तमान तरमीम को निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार बाडमेर के सहमति विभाजन आदेश क्रमांक राज/2013/88 दिनांक 16.01.2013 के अनुसार तरमीम शुद्ध करे। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के राजस्व आवेदन संख्या 11/2022, राजस्व आवेदन संख्या 10/2022 व आवेदन संख्या 12/2022 उक्त तरमीम से प्रभावित हो रही है तो पालना रिपोर्ट तहसीलदार बाडमेर उक्त तरमीम के पश्चात पुनः प्रेषित करें।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 28/12/23 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर